भारत पाँच रुपये | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES | 5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

(24)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म.प्र.

निगरानी - 3887/2018/रतलाम/भू.रा

नंदराम पिता कनीराम जी जाति बलाई आयु 50 वर्ष धंधा कृषि
निवासी-ग्राम सोहनगढ तह.पिपलौदा जिला रतलाम (म.प्र.)

......प्रार्थी

बनाम

1. राधाबाई पति स्व.रामलाल जी जाति बलाई आयु 40 वर्ष
2. लता पिता स्व.रामलाल जी जाति बलाई आयु 22 वर्ष धंधा मजदूरी
निवासीगण-ग्राम सोहनगढ तह.पिपलौदा जिला रतलाम (म.प्र.)

....प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 भू.रा.सं.

निगरानी बनाराजगी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ,जावरा के न्यायालयीन प्रकरण क्र.6अपील/17-18 में रेस्पॉडेंट द्वारा दिनांक 31/10/2017 को अपीलांट के पिठ पिछे अपील प्रस्तुत करने से असंतुष्ट होकर ।

मान्यवर महोदय ,

प्रार्थी की ओर से निम्नानुसार निगरानी प्रस्तुत है :-

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

1. यह है कि ग्राम सोहनगढ स्थित कृषि भूमि सर्वे क्रमांक 710/1 रकबा 0.500 हेक्टर भूमि प्रार्थी की स्वामित्व व आधिपत्य की है और प्रार्थी का राजस्व अभिलेख में नाम अंकित होकर प्रार्थी का उपरोक्त कृषि भूमि पर काबिज होकर कास्त करता चला आ रहा है और प्रतिप्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 31/10/2017 को प्रार्थी के पिठ पिछे अपील अंतर्गत धारा 44 भू.रा.सं. के तहत मात्र जगदीश पिता नंदराम बलाई के विरूद्ध प्रस्तुत की है ज़बकि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी के स्वामित्व आधिपत्य की है । प्रार्थी को पक्षकार बनाये बिना ही एवं अधिनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 05 अवधि विधान के आवेदन पर विचार किये बिना ही प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत कर दिया गया । और प्रतिप्रार्थी द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है और अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 31/10/2017 को प्रतिप्रार्थी की अपील दर्ज

निरंतर ...

XXIX(a)-BR(H)-11

नरसाम/ शाम्याबाई

(25) (27)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R 3887/18/ रतलाम/ नि.प्र. जिला - रतलाम

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31.7.18	आवेदक की ओर से यह निगरानी अनु. अधि. आलोट रतलाम के प्रकरण क्रमांक 6/अपील/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 31.10.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर रतलाम को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15-10-18 को कलेक्टर, रतलाम के समक्ष उपस्थित हों। (मनोज प्रकाश चौधरी) सदस्य	